(b) With the creation of two Departments, each under a separate Secretary, schemes being implemented by these departments, will receive closer focus on both policy and implementation aspects.

## आयुर्वेद निदेशालय

2333. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयुर्वेद निदेशालय खोलने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो निदेशालय कब तक पूर्णरूप से कार्य करने लगेगा;

(ग) निदेशालय में पदों की भर्ती कब तक हो जाएगी;

(घ) क्या सी० जी० एच० एस० में आयुर्वेद के चिकित्सकों के पदों को भरे जाने की संभावना है, यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि इन चिकित्सकों के पद भरे जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कितने-कितने पद आरक्षित हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):** (क) से (ग) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के एक पृथक विभाग की स्थापना की है। इस विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद और सिद्ध का एक निदेशालय स्थापित किया जायेगा जिसका प्रशासनिक अध्यक्ष एक निदेशक होगा। इस निदेशालय में विभिन्न पदों को भरा जा रहा है।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद) के समूह "क" के 11 पदों को भरने के एक प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) इन 11 पदों में से दो पद अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति और तीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

**Rand Corporation study on Indian Air Force**

2334. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have seen the report appearing in the "Times of India" dated 29th July, 1995 regarding Rand Corporation Study of the Indian Air Force;

(b) to what extent it agrees or does not agree with its findings and comments; and

(c) what could be the motive of R.C. in showing the IAF in a bad light?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It has been found that the report is not a balanced one and hence no cognizance has been taken of this report. There does not appear to be any motive to show the weaknesses of IAF.

**Auditing the expenses of political parties**

2335. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI P. UPENDRA:
SHRI G.G. SWELL:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Election Commission has recommended to the Law Ministry to bring an enactment for auditing the expenses of the political parties;

(b) if so, what are the provisions proposed by the Election Commission for enactment of such a law;

(c) why such a law has not been formulated so far; and